भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1984

दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तथा पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों के लिए एक मुश्त भुगतान

1984. श्री शमशेर सिंह मन्हासः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित लोगों तथा शरणार्थियों के लिए एकमुश्त भुगतान के वितरण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गई है तथा क्या इस संबंध में राज्य सरकार को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ख) क्या राहत के संवितरण हेतु निधियां जारी कर दी गई हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(किरेन रिजिजू)**

(क) से (ख): जम्मू एवं कश्मीर हेतु प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015 के तहत पाक अधिकृत कश्मीर और छम्ब से विस्थापित व्यक्तियों के 36,384 परिवारों को एक बारगी बसाने के लिए पुनर्वास पैकेज हेतु 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस विशिष्ट पैकेज में पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी शामिल नहीं है। अभी तक इसके लिए कोई धनराशि संवितरित नहीं की गई है और इसके लिए कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की गई है।